राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा – 303303

क्रमांक : आर11जीपी(193)2021 / 2577

दिनांक : 12/4/ .2022

–:: आदेश ::–

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड दौसा व उपवन संरक्षक दौसा की माँग एवं अनुरोध के आधार पर उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा का पत्र क्रमांक : राजस्व / 2022 / 233 दिनांक : 22.02.2022 एवं तहसीलदार राहूवास का पत्र क्रमांक : भू0अ0 / 2022 / 123 दिनांक : 16.02.2022 के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड दौसा को एनएच–148 से मौरोली वाया पीपली पातलवास, कोलीवाडा, डोब, पपलाज मात, सरधोण किमी 9 / 00 से 15 / 00 सडक का निर्माण जिसमें राजस्व ग्राम डोब एवं घाटा की कुल 3.0207 है0 वन भूमि की आवश्यकता जिसको वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशानुसार एवं उपवन संरक्षक दौसा के अनुसार वन विभाग के पक्ष में समतुल्य गैर वन भूमि ग्राम गोदावास तहसील राहूवास स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 7.45 है0 में से 3.0207 है0 भूमि को क्षतिपूर्ति के रूप में वन विभाग के नाम आवंटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है।

अतः संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप–3) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का स्वीकृति पत्र क्रमांक : प. 06(110)राज.–3 / 2021 दिनांक : 11.04.2022 के परिपेक्ष्य में तथा अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड दौसा व उपवन संरक्षक दौसा की माँग एवं अनुरोध तथा तहसीलदार राहूवास एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एन.एच. –148 से मौरोली वाया पीपली पातलवास, कोलीवाडा, डोब, पपलाज माता, सरधोण किमी 9 / 00 से 15 / 00 सडक निर्माणार्थ राजस्व ग्राम डोब एवं घाटा की कुल 3.0207 है0 वन भूमि को प्रत्यावर्तित किये जाने के क्रम में ग्राम गोदावास तहसील राहूवास स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 7.45 है0 में से 3.0207 है0 भूमि वन विभाग(जरिये उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी, दौसा) को राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 102 के अन्तर्गत निःशुल्क आवंटित की जाती है।

जिला कलक्टर
दौसा

क्रमांक : आर11जीपी(193)2021 / 2578–2584 दिनांक : 12/4/ .2022

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके स्वीकृति पत्र क्रमांक : प. 06(110)राज.–3 / 2021 दिनांक : 11.04.2022 के सदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित हैं।
2. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उपवन संरक्षक सामाजिक वानिकी, दौसा।
4. उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा।
5. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड दौसा।
6. तहसीलदार, राहूवास को प्रेषित कर लेख है कि, आदेश की पालना में उक्त भूमि को उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दौसा को संभलाई जाकर संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही करें तथा पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवानें की सुनिश्चितता करें।
7. गार्ड फाईल।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

Tel : 01427-224666 Fax : 223666 email : dm-dau-rj@nic.in Room No. 221, First Floor, Collectrate Office Dausa

Scanned with CamScanner